न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 71/2024 G.C.M.S. No. 2024/272 दर्ज दिनांक : 08.08.2024

अपीलार्थीगण:

हीराराम पुत्र चौपाजी, जाति–मीणा, उम्र 83 वर्ष, निवासी ग्राम–पुराड़ा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. मोहनलाल पुत्र हरजी, जाति–मेघवाल, निवासी–शिवगंज, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध श्री उपखंड अधिकारी, सुमेरपुर के आदेश दिनांक 30.07.2024 राजस्व विविध प्रकरण संख्या 26/2024 (जीसीएमएस नंबर 2024/54) बअनवान प्रार्थी मोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित आदेश को अपास्त कराने।

उपस्थित–

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, श्री चेतन आगरी एवं श्री सी.पी. वैष्णव विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी एवं श्री इमरान खान विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 10.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सुमेरपुर के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 26/2024 (जीसीएमएस नंबर 2024/54) बअनवान प्रार्थी मोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि मौजा ग्राम पुराड़ा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 556 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, किस्म जवाई नहरी दोयम एवं खसरा नंबर 557 रकबा 0.6300 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी दोयम कुल रकबा 1.0100 हैक्टेयर की भूमि आई हुई हैं। जिस भूमि पर अपीलार्थी का पिछले करीबा 40–45 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज नहीं हैं। इस कारण खातेदारी उदघोषणा हेतु वाद सहायक कलक्टर म[illegible] सुमेरपुर के अदालत में प्रस्तुत कर रखा है। जो विचाराधीन रहते प्रतिवादी की [illegible] हेतु [illegible] जिसमें अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अपीलार्थी की उक्त भूमि के पास ही खसरा [illegible] 563 व 562 की भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की आई हुई हैं एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी खातेदारी भूमि [illegible] आने–जाने हेतु अपीलार्थी की कब्जा–काश्तशुदा भूमि से रास्ते की मांग करते हुए अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:57:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में धारा 251–ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। जिस आवेदन में श्रीमान अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 15.02.2024 में observation के अनुसार अपीलार्थी व अन्य को विधिनुसार तय करना था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वैकल्पिक रास्ते की समुचित जांच व साक्ष्य लिये बिना ही एकतरफा मौका रिपोर्ट मंगवाकर केवल मात्र खसरा नंबर 557 जो वर्तमान में उक्त खसरा नंबर राजस्व रेकर्ड में मौजूद नहीं हैं, के संबंध में विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। क्योंकि उक्त खसरा नंबर 557 के नये खसरा नंबर 1301/557 व खसरा नंबर 1300/557 बने हैं। जो पूर्व में उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा किये गये आदेश दिनांक 06.07.2024 की पालना में दर्ज है। इस तरह उक्त नये–पुराने खसरों का उल्लेख किए बिना ही उक्त खसरा नंबर 557 में रास्ता निकालने का अपीलाधीन आदेश दिया गया है, जोकि मौके व रेकर्ड की स्थिति के पूर्णतया विपरीत जाकर पारित किया गया है। जोकि विधिविरूद्ध है। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में प्रकट तथ्यों एवं कथनों को दुहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जो रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वैकल्पिक रास्ते की समुचित जांच व साक्ष्य लिये बिना एवं अपीलार्थी की अनुपस्थिति में एकतरफा मौका जांच रिपोर्ट मंगवाकर उक्त विधिविरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमिधारी तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है एवं जो मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई गई हैं उस मौका रिपोर्ट में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई हैं, जोकि आवश्यक थीं। क्योंकि खसरा नंबर 558/1 भी रेकर्डेड रास्ता है एवं उक्त रास्ते के पास में ही स्थित खसरा नंबर 559 जो खातेदारी भूमि है, जिससे जुड़ती हुई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमियां खसरा नंबर 562 व 563 आई हुई हैं, जिसमें आने–जाने हेतु उक्त भूमि रास्ते का उपयोग व उपभोग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य खसरा नंबर 622 गैर मुमकिन रास्ता (मुख्य सड़क) से होकर राजस्व रेकर्ड खसरा नंबर 561 की सीमा तक जाता है। तथा खसरा नंबर 561 के पास ही खसरा नंबर 562 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आई हुई हैं, उक्त रास्ता भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के लिए सुविधाजनक एवं नजदीकी उपलब्ध है। जिसका उपयोग–उपभोग भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 562 व 563 के आस–पास आबादी भूमियां कॉलोनी के रूप में विकसित की गई हैं, उक्त आबादी भूमि में पहले से ही बहुत सारे वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध है। खसरा नंबर 558/1 व उसके आगे खसरा नंबर 561 के आगे की आबादी भूमि खसरा नंबर 1134/566 के उपर की ओर आबादी भूमि का रास्ता मौजूद है, उसमें भी रास्ता चलता है जिस रास्ते का उपयोग–उपभोग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा किया जाता रहा हैं। इसके अलावा खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:17:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

558/1, 551/1 एवं खसरा नंबर 1133/547 राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तमाम वैकल्पिक रास्ते मौजूद होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत नया रास्ता स्वीकृत करने का जो उक्त आदेश पारित किया गया है, वह पूर्णतया विधिविरूद्ध है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में रास्ते की मांग की गई है, उस भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न तो काश्त की गई हैं एव न ही काश्त हेतु इसका उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। केवल मात्र अपनी उक्त भूमि को मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सी.सी. रोड़ का सहारा लेकर भूमि की वैल्यू बढ़ाने के उद्देश्य के साथ–साथ अन्य भू–माफियाओं के साथ मिलकर आवासीय कॉलोनी के रूप में योजना बनाकर भूखण्ड काटना चाहता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि का खेती जोत हेतु उपयोग–उपभोग नहीं किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में धारा 251–ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट को रास्ता को नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि धारा 251–ए के तहत केवल मात्र खातेदार काश्तकार को अपनी जोत पर काश्त करने हेतु आने–जाने व उसका खेती हेतु उपयोग–उपभोग करने की मंशा से ही रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा धारा 251–ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत रास्ते की मांग करने हेतु जो प्रार्थना–पत्र दिया गया है, उसकी आत्यान्तिक आवश्यकता को एवं वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता को साबित नहीं किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से वैकल्पिक रास्तों की उपलब्धता के संबंध में एवं उक्त भूमि का आवासीय कॉलोनी के रूप में उपयोग–उपभोग करने के संबंध में अपना पक्ष रखा था। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य–सबूत अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किए गए है, जिससे कि यह साबित होता हो कि उक्त समस्त वैकल्पिक रास्ते रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उपलब्ध नहीं हों एवं केवल मात्र उक्त जैर अपील आदेश में प्रदान किया गया रास्ता ही आत्यांतिक आवश्यकता के रूप में उपलब्ध हों। अतः प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए विधि में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ मिलीभगत करके वैकल्पिक रास्तों की उपलब्धता की पूर्ण रूप से जांच किए बिना, अपीलांट की गैर–मौजूदगी में एकतरफा मौका जांच रिपोर्ट मंगवाकर एवं बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य–सबूतों का अवलोकन कर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभान्वित करते हुए आस–पास की आबादी भूमि होने से कॉलोनी काटने व रास्ते के आने–जाने की सुविधा के रूप में अपीलांट की भूमि में से रास्ता प्रदान कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर उक्त जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों एवं कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को नियमानुसार रास्ता स्वीकृत किया है। खसरा संख्या 557 जोकि सिवाय [illegible] भूमि है जिसमें से सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया गया है, जो प्रार्थी की [illegible] जिस कारण प्रार्थी का कोई हक एवं अधिकार निहित नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकटतम एवं लघुतम विकल्प के रूप में रास्ता स्वीकृत किया है, उक्त रास्ता तहसीलदार की [illegible] रिपोर्ट एवं प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जो विधिसंगत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:57:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हमनें विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस ध्यानपूर्वक सुनते हुए उस पर मनन किया, तथा न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय तथा संगत विधिक प्रावधानों का बखूबी अध्ययन एवं अवलोकन किया, साथ ही बहस के दौरान प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन करते हुए प्रकरण के समुचित निस्तारण में मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट मोहनलाल द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुराड़ा तहसील सुमेरपुर में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 563, 562 आई हुई हैं। जिसके उत्तर–पश्चिम दिशा की ओर खसरा संख्या 557 सिवायचक भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी तक पहुंच के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी की खातेदारी के निकटतम मुख्य सड़क से होते हुए खसरा संख्या 555 की आबादी भूमि में काटी हुई आवासीय कॉलोनी के रास्ते से होते हुए खसरा संख्या 557 सिवायचक के दक्षिण माठ के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर प्रार्थी के खेत तक निकटतम रास्ता उपलब्ध है, अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।

2. न्यायालय के आदेश से अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत प्रकरण में बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया जाकर जवाब प्राप्त किया गया। अप्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार खसरा संख्या 557 की सिवायचक भूमि पर उसका लंबे समय से कब्जाकाश्त चल रहा है, अर्थात अपीलांट सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काबिज है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 562, 563 पर आने–जाने के लिए मुख्य सडक सुमेरपुर तखतगढ़ मार्ग पर पूर्व दिशा की ओर स्थित खसरा संख्या 1433/545 के पास से होकर खसरा नंबर 558/1 तक आने–जाने हेतु निकटतम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। अतः खसरा संख्या 557 से रास्ता नहीं दिया जायें।

3. तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट अनुसार सुमेरपुर तखतगढ़ मुख्य सड़क मार्ग से खसरा संख्या 555 व 554 आवासीय संपरिवर्तित भूमि में बनी सी.सी. सड़क से खसरा संख्या 557 सरकारी भूमि में से 9 मीटर चौड़ा व 32 मीटर लंबा कुल 288 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई। तथा अन्य कोई विकल्प नहीं होना अंकित किये जाने के आधार पर उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.07.2024 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 562 एवं 563 पर पहुंच के लिए खसरा संख्या 557 सिवायचक भूमि में से 9 मीटर चौड़ा 32 मीटर लंबा सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया गया है।

4. अपीलांट द्वारा अपील में यह निवेदन किया है कि खसरा संख्या 558/1 रेकर्डेड रास्ता है, एवं उक्त रास्ते के पास में स्थित खसरा संख्या 559 खातेदारी भूमि है, जिससे लगता हुआ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि स्थित है। जो रास्ता है। इसी प्रकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास में स्थित अन्य खातेदारी भूमि आबादी संपरिवर्तित है। जिनमें स्थित रास्तों में से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि तक जा सकता है। अतः प्रार्थी को रास्ते की कोई आत्यांतिक आवश्यकता नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय दिनांक 30.07.2024 को अपास्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:37:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रथम तो अपीलांट खसरा संख्या 557 जो सिवायचक भूमि है, तथा जिसमें से प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है, का न तो खातेदार है एवं न ही कोई अन्य हित निहित है। अपीलांट का यह कथन कि वह खसरा संख्या 557 पर बतौर अतिक्रमी काबिज है, अतः इसमें उसका हित निहित है, किसी भी दृष्टि में स्वीकार योग्य नहीं हैं। क्योंकि सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमी बेदखली के हकदार होते हैं, न कि उनका ऐसी सार्वजनिक भूमियों में कोई हक एवं अधिकार निहित होता है।

6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार रिपोर्ट एवं प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 562, 563 के पास में स्थित खसराओं के भू–नक्शा एवं जमाबंदियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा हस्ताक्षरित एवं संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा रिपोर्ट तैयार कर रास्ता प्रस्तावित करते समय न तो विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया एवं न ही प्रार्थी द्वारा मांगे गए एवं प्रस्तावित विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित किया है। धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं नियम 69 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में विहित प्रावधान अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च अधिकारी द्वारा रास्ता प्रस्तावित करते समय प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच के लिए निकटतम अभिलिखित रास्ते से निकटतम एवं न्यूनतम दूरी का ध्यान में रखते हुए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित किया जाना चाहिए, ताकि उपखंड अधिकारी नियमानुसार न्यूनतम एवं निकटतक दूरी का विकल्प चुनते हुए रास्ता स्वीकृत कर सकें। प्रस्तावित विकल्प प्रार्थी की सुविधा के अनुरूप नहीं हो सकता। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवज अनुसार प्रार्थी की आराजी के आस–पास की अधिकांश खातेदारी भूमियां आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो चुकी हैं तथा ऐसी आवासीय कॉलोनियों में सार्वजनिक रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते भी होते हैं। उपलब्ध भू–नक्शा अनुसार खसरा संख्या 558/1 जो गैर–मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज एवं तरमीम है, जो खसरा संख्या 558 एवं 559 की सीमा तक आता है। प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 563, खसरा संख्या 559 से लगते हुए स्थित है। अतः खसरा संख्या 558/1 गैर–मुमकिन रास्ता से खसरा संख्या 559 की आराजी में से प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 563 तक न्यूनतम एवं निकटतम दूरी का विकल्प हो सकता है, जो भू–नक्शा को देखने मात्र से स्पष्ट होता है। लेकिन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा रास्ता स्वीकृत करते समय एवं संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार द्वारा रास्ता प्रस्तावित करते समय उक्त तथ्य की अवहेलना की हैं तथा खसरा संख्या 557 की सिवायचक भूमि में से अधिक दूरी का विकल्प होने के बावजूद रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो स्वीकार एवं पुष्टि योग्य नहीं हैं।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के मध्यनजर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रश्नगत प्रकरण में विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट की प्रार्थना पर उसकी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 562 व 563 तक पहुंच के लिए रास्ता स्वीकृत समय न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प पर विचार नहीं करने, खसरा संख्या 558/1 गैर–मुमकिन अभिलिखित रास्ता से खातेदारी भूमि खसरा संख्या 559 में से होकर प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 563 तक न्यूनतम एवं निकटतम दूरी का विकल्प की अवहेलना कर प्रार्थी की सहूलियत एवं मांग अनुरूप खसरा संख्या 557 की सिवायचक भूमि में से अधिक दूरी का विकल्प होने के बावजूद रास्ता स्वीकृत करने, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:17:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के विधिक प्रावधानों का सम्यक अनुपालन नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 26/2024 के प्रश्नगत निर्णय दिनांक 30.07.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण को विद्वान उपखंड अधिकारी सुमेरपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना कि प्रकरण में संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक से अन्यून राजस्व अधिकारी से निकटतम अभिलिखित रास्ते से प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प को दर्शाते हुए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित कर पुनः जांच प्रतिवेदन प्राप्त करें, यदि न्यूनतम एवं निकटतम दूरी के रास्ते का विकल्प किसी/किन्हीं खातेदारी में से हों तो उस आराजीयात के खातेदारान को बतौर पक्षकार संयोजित कर प्रकरण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 व 70 तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/दिशानिर्देशों की पालना करते हुए पुनः निर्णय पारित करें, साथ ही खसरा संख्या 557 की सिवायचक भूमि पर यदि अपीलांट या अन्य किसी का अतिक्रमण पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत समुचित विधिक कार्यवाही के लिए तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देशित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत है।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सारवान एवं बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाती है। उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 26/2024 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2024 को अपास्त/निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखंड अधिकारी सुमेरपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक सेअन्यून राजस्व अधिकारी से निकटतम अभिलिखित रास्ते से प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प को दर्शाते हुए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित कर पुनः जांच प्रतिवेदन प्राप्त करें, यदि न्यूनतम एवं निकटतम दूरी के रास्ते का विकल्प किसी/किन्हीं खातेदारी में से हों तो उस आराजीयात के खातेदारान को बतौर पक्षकार संयोजित कर प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 व 70 तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/दिशानिर्देशों की पालना करते हुए पुनः निर्णय पारित करें, साथ ही तहसीलदार सुमेरपुर को पाबंद करें कि वह गांव पुराड़ा के खसरा संख्या 557 की सिवायचक भूमि का निरीक्षण करें तथा यदि उक्त भूमि पर अपीलांट या अन्य किसी का अतिक्रमण पाया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत समुचित विधिक कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक **10.10.2024** को मेरे [illegible] सुनाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:57:55 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी,पाली

Scanned with OKEN Scanner